न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 240 / 2019

वादी :– सुमेर पुत्र श्री बलदेवराम, जाति जाट, निवासी छापरी खुर्द तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बलदेवराम पुत्र श्री भागूराम उर्फ भागाराम
2. महेन्द्र पुत्र श्री बलदेवराम
3. बिलुदेवी पत्नी श्री बलदेवराम
4. मुन्नी पुत्री श्री बलदेवराम

   सभी जाति जाट, निवासीगण छापरी खुर्द

   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
5. तहसीलदार, मेड़ता।
6. पटवारी हल्का, छापरी खुर्द।

<u>दावा बाबत बंटवाड़ा एवं घोषणा खातेदारी</u>

<u>निर्णय</u> **दिनांक :–** 25/10/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री गिरधारीलाल ने दावा बाबत बंटवाड़ा एवं घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते है। सभी एक ही परिवार के सदस्य है। मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नमबर 1370 / 450 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1371 / 450 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1373 / 906 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1372 / 455 रकबा 0.8850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.3867 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469/1222 रकबा 0.3867 हेक्टेयर की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद भूमि आयी हुई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का सहुलियत से अलग–अलग काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से संबोधित की गई है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जो पूर्व पक्षकारान के पूर्वजों की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उनके पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पैतृक भूमि हैं इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहुलियत के अनुसार जुबानी बंटवाड़ा आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कर लिया है, जो अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 में वर्णित अनुसार है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने बंट की एवज में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से नगदी व गहने प्राप्त कर लिये है तथा अपना सम्पूर्ण खातेदारी हक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में जुबानी तर्क कर दिया है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 का कोई हक, बंट नही रखा गया है। उपरोक्त वर्णित बंटानुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग–अलग सीवें व माठे कायम कर ली है। मगर विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने हेतु वाद पेश है। उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी व प्रतिवादीगण का सहुलियत से अलग–अलग हैं मगर मुतनाजा आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसलिये वादी यह घोषणा का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित बंट

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद हैं प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी होने व प्रतिवादी संख्या 6 राजस्व रेकर्ड संधारक होने से आवश्यक पक्षकार है। इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 10 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा छापरी खुर्द की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 476 व 480, ग्राम पंचायत छापरी खुर्द द्वारा जारी बलदेवराम के वारिसान का प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री नरेश कुमार राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 22.10.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6.(क) वादी सुमेर के बंट में :— मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1373/906 रकबा 1.1100 हैक्टेयर सम्पूर्ण की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 बलदेवराम के बंट में :– मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 0.3867 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 469/1222 रकबा 0.3867 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1370/450 रकबा 0.0300 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1371/450 रकबा 0.1300 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र के बंट में :– मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1372/455 रकबा 0.8850 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(घ) प्रतिवादी संख्या 3 बिलूदेवी के बंट में :– मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 451 रकबा 0.71 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक की भूमि का हक तर्क वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

उपखण्ड अधिकारी,

मेड़ता।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (नाग.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.11 11:54:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: